न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कानसिंह 2. शैतानसिंह पिसरान विजयसिंह जाति राजपुत निवासीगण पीपलाद तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. हरीसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पीपलाद तहसील सोजत जिला पाली राज0 2. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 61/2023

उपस्थिति:–

01. श्री कैलाशदवे, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137, 2, 303, 377, 731, 737, 741, 746, 754 कुल खसरा 09 कुल रकबा 12.2500 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या 01 के पिता स्व0 विजयसिंह से विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता विजयसिंह थे जिनका निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व दो पुत्रिया भंवर कंवर व छैल कंवर है उपरोक्त तमाम स्वर्गीय विजयसिंह उतराधिकारी वारिसान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जो हिन्दु उतराधिकारी विधि से शासित होते है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का बडा भाई है तथा ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते स्वर्गीय विजयसहि जी द्वारा वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 का नाम 1/2 हक हिस्से में इन्द्राज करवाया तथा शेष 1/2 हक हिस्से में अपने स्वयं का इन्द्राज करवाया जिसके पश्चात स्वयं विजयसिंह ने अपने जिवनकाल में पारिवारिक सेटलमेन्ट कर भविष्य में उक्त कृषि भूमि को लेकर अपने पुत्रों के मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद न हो इसलिए मौखिक रूप से पारिवारिक सेटलमेन्ट कर बंटवाडा कर उपरोक्त कृषि भूमि में तीनों भाईयों का 1/3– 1/3 हक हिस्सा कायम कर काश्त हेतु सुपुर्द कर दिया तब से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि के 1/3– 1/3 हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग आज दिनांक तक करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में विजयसिंह का 1/2 व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा ही दर्ज रहा चूँकि सभी एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते आपसी पारिवारिक मधुर सम्बन्ध रहें इसलिए वादस्थ भूमि में अप्रार्थी सं0 1 ने कभी भी प्रार्थीगण के 1/3 हक हिस्से में दखल अंदाजी नहीं की। विजयसिंह के स्वर्गवास होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व माता गोविन्द कंवर व अन्य दोनो पुत्रियां भंवर कंवर व छैल कंवर का नाम 1/2 हक हिस्से में दर्ज किया गया। जिससे राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 1 का नाम 1/2 व माता गोविन्द कंवर का 1/12 हिस्सा होने 1/2 + 1/12 दर्ज हो गया। जबकि वादस्थ भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/3 हक हिस्सा ही खातेदारी कब्जा काश्त का बनता हैं। अप्रार्थी सं0 1 व बहिनों द्वारा माता पिता से प्राप्त कृषि भूमि मे अपना हक हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक तर्क किया। हक तर्क के पश्चात् प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 पूर्व में किये गये मौखिक सैटलमेंट अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा रहा। हकतर्कनामा के पश्चात् दिनांक 21.10.2021 को एक सहमति पत्र तकमील

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निष्पादित कर हरिसिंह का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी कानसिंह का 1/3 हिस्सा व शैतानसिंह का 1/3 हिस्सा होना बताया। अप्रार्थी सं0 1 राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से दर्ज हक हिस्से के आधार पर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का सम्मिलित करते हुए वादस्थ भूमि को अन्तरण करने पर उतारू है। तथा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते पर आमादा हैं। वादस्थ भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। दौराने वाद सुनवाई वादस्थ भूमि का बेचान व अन्तरण होता हैं। और वाद निर्णय से पूर्व यदि से प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया जाता हैं। तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर वादस्थ कृषि भूमि का बेचान नहीं करने तथा प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पिपलाद में अवश्य आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में कानसिंह, छैलकंवर, भंवरकंवर, शैतानसिंह, हरिसिंह प्रत्येक का 1/10 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा खातेदारी हकूक का स्थित हैं। प्रार्थीगण ने जो सजरा बताया है वह सही है, विजयसिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं। सैटलमेंट के दौरान पर्चा बयान में चन्दनसिंह, लाडूसिंह, विजयराजसिंह, हरिसिंह, जोरसिंह, गिरधारीसिंह, सज्जनसिंह व हेमकंवर प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया। पद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा हरिसिंह व 1/2 हिस्सा विजयसिंह का दर्ज किया गया। विजयसिंह का स्वर्गवास होने से उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से मे कानसिंह छैलकंवर, भंवरकंवर, शैतानसिंह, हरिसिंह प्रत्येक का 1/10 हिस्सा दर्ज किया गया। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि विजयसिंह ने उक्त कृषि भूमि तीनो पुत्रो मे बंटवाड़ा कर 1/3–1/3 कायम कर सुपुर्द किया। जबकि अप्रार्थी सं0 1 उक्त कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में काश्त करने में दखलअंदाजी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। गोविन्द कंवर का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 व दोनो बहनो ने हकतर्क प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करवाया था। हरिसिंह ने अपनी माता गोविन्द कंवर के 1/12 हिस्सा मे सें प्राप्त 1/5 हिस्से का ही हकतर्क किया हैं। शेष 1/12 हिस्सा पिता से प्राप्त हुआ हैं एवं 1/2 हिस्सा पहले से खातेदारी का चला आ रहा था। उसका कोई हकतर्क नहीं किया हैं। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 + 1/12 यानि 7/12 हिस्सा खातेदारी का हुआ तथा प्रार्थीगण प्रत्येक का 5/24–5/24 हक हिस्सा खातेदारी का हुआ है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण ने स्वयं का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा होने का कथन किया है, जो पूर्णतः गलत हैं। प्रार्थीगण ने छल–कपट पूर्वक विश्वास में लेकर सुनियोजित तरीके से लिखत लिख कर स्टाम्प प्रिंट कराया। प्रार्थीगण का कभी वादस्थ कृषि भूमि पर 1/3 हिस्सा नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीत भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा बनता हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हिस्से के कारण एवं विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को बेचान करने की ऐलानियां धमकियां दे रहे है। जिन्हे मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा बिल्कुल मनगढ़त तथ्यों के साथ वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी रास्ते की भूमि को हड़प करना चाहता हैं। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार एवं वादग्रस्थ भूमि में सहखातेदार हैं। जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकूलाय पर गौर व मनन किया। वस्तुतः वादग्रस्थ कृषि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिवेक्ष्य में वाद निर्णय तक यदि मौके व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव होता है। तो निश्चित ही वाद बहुलियता बढ़ेगी। पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। लिहाजा वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ठ भू–भाग का बेचान नही करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद तह0 सोजत के खसरा नम्बर 137, 2, 303, 377, 731, 737, 741, 746, 754 कुल खसरा 09 कुल रकबा 12.2500 हैक्टर की कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने, प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने तथा विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत